रा.प्रा.प्र.सं. 80/18 नेनू खां v/s सरकार

29.5.18	बुकलाफ उप.) प्रार्थी की कुल अपील विस्तृत विवेचन के साथ खारिज की जा चुकी है, के अनुसार प्रस्तुत प्रा. पत्र भी खारिज किया जाता है। पगावली कैसल शुमार हो कर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अपर कलक्टर, नागौर	

कार्यालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान